

I/27658/2024

भारत सरकार  
खान मंत्रालय  
भारतीय खान ब्यूरो  
क्षेत्रीय खान नियंत्रक का कार्यालय  
माखपुर औद्योगिक क्षेत्र अजमेर  
305002



Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of the Regional Controller of  
Mines. Makhupura Industrial Area,  
Ajmer- 305002  
Ph-145-2695165 / 2695476 Fax-  
2695202

ई-मेल : ro.ajmer@ibm.gov.in

संख्या : **E 5296 MCDR-MiFLOGEN/7/2023-AJM-IBM\_RO\_AJM**

दिनांक : 14.03.2024

प्रेषित : श्रीमती दीप सुंदरी पत्नी श्री परमेश्वर खत्री , खान मालिक,

हाउस न. सी ल-17, सिटी सेंटर के पास,

महावीर नगर जिला-बाड़मेर (राजस्थान)-344001, Email: [deepsundri@yahoo.in](mailto:deepsundri@yahoo.in)

विषय : Violation of provisions of Mineral Conservation & Development Rules, 2017 in respect of your Mati Ka Gol Siliceous Earth Mine over an area 5.0 Ha. in Barmer district of Rajasthan State.

महोदय,

The following provisions of the Mineral Conservation and Development Rules, 2017 were found violated in your above mine during the inspection carried out by Shri Ajay Kumar Jatolia, AME on 29/01/2024 in presence of Mine Officials.

| Rule No.   | Nature of violation observed in detail   |
|------------|--|
| Rule 45(7) | During scrutiny of Annual Return for the year 2022-23, the following discrepancies have been observed:<br>1. In Item 1 of Part-V: The details of exploration has not been furnished.<br>2. In Item 5 of Part-VI: Sale value has been furnished as 5694.566 Rs/ tonne whereas Ex-Mine price has furnished in item 3(ii) as 569.45 Rs/ tonne |

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियमों का उल्लंघन की अनुपालना नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अन्तर्गत:

(क) आपकी खदान की सारी संक्रियाएं बंद की जा सकती हैं।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टा खंडन की अनुसंशा की जा सकती है।

03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची-2 के प्रावधान लागू होंगे।

04. अतः आपको यह निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघन का अतीशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 30 (तीस) दिवस के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

05. कृपया ध्यान रखें कि भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दिया जाएगा।

भवदीय

(चन्द्रेश बोहरा )

उप खान नियंत्रक(कार्यालय प्रभारी)

भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपी सूचनार्थ :

1. खान नियंत्रक (उ.आ.) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर (ईमेल )
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, शास्त्री सर्किल, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, बाड़मेर।

उप खान नियंत्रक(कार्यालय प्रभारी)

भारतीय खान ब्यूरो